कार्यालय जिला पंचायत,रामपुर

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनॉक 18/07/2019 के कम में जिला पंचायत, रामपुर के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्यो की ई–निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र बेबसाइट E tender up.nic.in एवं http: Rampur.nic.in से दिनांक 21/07/2019 को दोपहर 12:00 बजे से डाउनलोड किए जा सकते है। आनलाइन निविदा की अन्तिम तिथि 27/07/2019 को दोपहर 12:00 बजे तक होगी। दिनांक 27/07/2019 को अपराहन 03 बजे से जिला पंचायत कार्यालय में निविदा समिति द्वारा निविदायें खोली जायेगी। कालम–5 में दर्शाई गई निविदा प्रपत्र शुल्क की धनराशि का बैक ड्राफट अथवा जिला पंचायत के यूनाईटेड बैक ऑफ इण्डिया रामपुर के जिला निधि खाता सं0 1448010024532 IFSC कोड UTBIORAR553 में जमा कर सकते है एवं कॉलम संख्या–6 में अंकित धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत,रामपुर के पक्ष में देय/बंधक करते हुए संलग्न की जायेगी तथा इसकी स्केन प्रतियां निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जायेगी तथा मूल प्रतियां निविदा खोलने के उपरान्त जिला पंचायत कार्यालय रामपुर को उपलब्ध करानी होगी। निविदा सम्बन्धी अन्य शर्तो एवं अभिलेखों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत रामपुर से की जा सकती है। कार्य आदेश शासन से स्वीकृति के उपरान्त निर्गत किया जायेंगा । निम्न कार्यो की लागत में GST की धनराशि सम्मिलित नहीं है:–

क.स.	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	अनुमानित लागत (हजार में) GST रहित	GST सहित निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर राशि (हजार रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1-	ग्राम घाटमपुर में गौशाला से स्वर्ग धाम की ओर 520 मी0सीसी एवं नाली निर्माण कार्य	सैदनगर	3366357	3366+606= 3972	67400	वर्क आर्डर से दो माह के अन्दर	प्रथम श्रेणी

अभियन्ता
जिला पंचायत रामपुर

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत रामपुर

कार्यालय जिला पंचायत,रामपुर

पत्रांक. 777/निविदा/2018–19/जि0पं0 दिनांक 19.07.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–जिलाधिकारी महोदय, रामपुर।
2–कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर
3–अपर जिलाधिकारी महोदय रामपुर ।
3–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रामपुर इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस विज्ञापन को इन्टरनेट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें
संलग्न :– एक सी0डी0
4–अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड रामपुर।
5–अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड रामपुर।
6–अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग रामपुर।
7–अधिशासी अभियन्ता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रामपुर ।(आर0ई0एस0)
8–समस्त खण्ड विकास, अधिकारी जनपद–रामपुर।
9–वित्तीय परामर्शदाता/अभियन्ता, जिला पंचायत रामपुर।
10–जिला पंचायत रामपुर के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ।
11–जिला गन्ना विभाग रामपुर ।
12–उप निदेशक निर्माण मण्डी परिषद् मुरादाबाद ।
13–सम्पादक दैनिक अमर उजाला, रामपुर समाचार पत्र को कम से कम स्थान पर प्रकाशित करने हेतु।
14–सम्पादक दैनिक उर्दू नाजिम रामपुर को इस आशय कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र में एक बार कम से कम स्थान पर प्रकाशित करें जिसके भुगतान स्वरूप आपको 1000–00 एक हजार रू0 किया जायेगा।

19/7/19
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत रामपुर।

कार्यालय जिला पंचायत रामपुर

पत्रांक 777 /जि0पं0 दिनांक 19 /07/201

टेण्डर संबधी शर्ते

1–निविदाता द्वारा 2प्रति धरोहर राशि को राष्ट्रीय बैक की एफडीआर/एनएससी अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रामपुर के पद नाम बंधक होगी तथा नगद धनराशि के रूप में जमा हेतु जिला पंचायत रामपुर युनाईटेड बैक ऑफ इण्डिया रामपुर के जिलानिधि खाता सं0 1448010024532 IFSC CODE UTBIORAR553 में जमा कर सकते है।

2–निविदा फार्म का मूल्य संबंधित कार्य के समक्ष अंकित है को राष्ट्रीय बैक द्वारा बैक ड्राफट/नकद उपरोक्त खाते में जमा किया जा सकता है।

3–निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय विड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से कार्यालय जिला पंचायत रामपुर में तत्काल जमा करना होगे ।

4–जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार किसी भी निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय निरस्त करने का अधिकारी सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।

5–निविदादाता को उनकी निविदा स्वीकृति किये जाने के उपरान्त यथाशीघ्र अनुबन्ध कराना होगा।

6–जिला पंचायत रामपुर में पंजीकृत ठेकेदार ही टेण्डर डालने के हेतु पात्र होगें अन्य माध्यम से प्राप्त टेण्डरों को स्वतः ही आमान्य समझा जायेगा।

7–आनॅलाइन सिस्टम में रूकावट होने पर अनापेक्षित देरी के लिए निविदा आमंत्रक की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

8–ठेकेदार को राल्यटी भुगतान का यथोचित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की स्थिति में रायल्टी देयक भुगतान के समय अनुमन्य दरो के अनुसार ठेकेदार के बिल से काटी जायेगी।

9–शासन द्वारा अथवा समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का पालन ठेकेदार द्वारा करना अनिवार्य होगा।

10–अनुरक्षण कार्य हेतु डिफेक्ट लाईबेलिटि अवधि 2 वर्ष की होगी।

11–दस लाख से ऊपर की धनराशि के कार्यो के कार्यादेश शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही निर्गत किया जायेगा

15/07/15
अभियन्ता
जिला पंचायत, रामपुर

19/7/15
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रामपुर